



RAEBARELI POLICE



दिनांक 13 जुलाई 2026

थाना कोतवाली नगर

गैंगस्टर अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 123/2026 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

“श्री रवि कुमार” पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री आलोक सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशीष निगम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हरिलाल सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर निवासी कमरी देहात कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी को थाना क्षेत्र के मामा चौराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

हरिलाल सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर निवासी कमरी देहात कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हरिलाल सोनकर उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0-09/2021 धारा-147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना जायस जनपद अमेठी
2. मु0अ0सं0-498/2025 धारा-303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
3. मु0अ0सं0-499/2025 धारा-303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
4. मु0अ0सं0-123/2026 धारा-2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली

गिरफ्तार करने वाली थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह
2. उ0नि0 कपिल चौहान
3. का0 अरविन्द यादव
4. का0 हरेन्द्र यादव



मीडिया सेल रायबरेली